

AA/34 2/3 521857 RGSLS R/2417

S V RAJU

1/9/72 TILAKNAGAR BY 71 0930

अ

6173

भारतीय डाक तार विभाग

श्रेणी

ORDY

समय

2015

काल

प्रसारण/वास्तविक

परिधि
संख्या

तारीख-सोहर

संख्या

दिनांक

01.9.72

19

24

तारघर

समय

पर मेजा

सेवा अनुरोध

तारघर को

तार डूक किया गया

प्रेषक

2-370

प्रेषक के जतने-जैसे, बकरी, जवाही,
एकसं वी० (विशेष बाहक प्रसार),
बघाई, राजकीय इत्यादि

नाम ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

टेलीफोन नं० टफ* M. R. MASANI M. P.

पता

2 TUGHLAK ROAD NEWDELHI

तारघर

YOUR MEETING ~~XXXX~~ FRIDAY SIXTH CONFIRMED STOP & WE WILL
PROVIDE DETAILS WHEN WE MEET FOURTH

... RAJU

MRA

(तार द्वारा भेजने के लिए) प्रेषक:

तार द्वारा नहीं भेजने के लिए

प्रेषक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं०

तथा पूरा पता

*यदि कोई टेलीफोन नं० हो तो 'टफ' के बाद लिखें। यदि टेलीफोन नं० दिया जाए तो पूरा पता देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार तार का जल्दी सुनिश्चित बितरफ हो जाता है और प्रसार भी कम हो जाता है।

विशेष अनुदेश

1. ताफ और यथासंभव स्पष्ट जतरों में लिखें। गन्धे लेख से तार में गड़बड़ी हो सकती है।
2. तार के जड़वी वितरण के लिए बहुत कम से जरा जता लिखना चाहिए। पन्तम तारधर के साथ ही वाक्यवितरण क्षम संख्या भी लिख दीजिए यदि बड़ा ऐसे वितरण क्षेत्र मौजूद हों।

तार स्वीकार करने की शर्तें

1. तार निर्देशिका वाक्यम 1 में प्रकाशित अन्तर्देशीय तारों से सम्बन्धित अनुदेशों तथा 1885 के भारतीय तार अधिनियम और 1951 के भारतीय तार नियमों के प्रावधानों के अनुसार तार पूर्ण रूप से आगे भेज दिये जाते हैं।
2. तार के पारेक्षण न होने, वितरण न होने या गलत वितरण होने या उसके पारेक्षण या वितरण में देरी, गलती या भूल होने के चलकर तार होने वाली किसी क्षति, क्षति या नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी।